

(b) whether Government are aware that as there is no scheme for preservation of these mangoes, nearly half of the quantity goes waste which results in heavy loss; and

(c) whether Government will consider any scheme for the preservation of these mangoes during the Second Five Year Plan period?

The Minister of Food and Agriculture (Shri A. P. Jain): (a) The estimated area under Alphonso variety of mangoes in Ratnagiri district is about 8,000 acres.

(b) and (c). On the recommendation of the Panel set up by the Government of India to consider the development of the fruit preservation industry, a scheme for the grant of loan to State Governments, for the establishment of 200 small and 15 large-scale Fruit Preservation Canning Units has been prepared by this Ministry. A provision of Rs. 55 lakh has been made for this scheme in the Second Five Year Plan.

Construction of Building for Post Office at Nipani

1748. { Shri D. A. Katti:
Shri Dilge:

Will the Minister of Transport and Communications be pleased to state:

(a) whether it is a fact that sanction to construct a building for the post office at Nipani, District Belgaum, Mysore State had been given by Government; and

(b) if so, why the construction of the building has not been undertaken so far?

The Minister of State in the Ministry of Transport and Communications (Shri Raj Bahadur): (a) The question of making suitable additions and alterations to the existing rented building on payment of enhanced rent is under examination.

(b) Does not arise.

अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना

१७४९. श्री नरसेव स्वातक : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली स्थित अंशदायी स्वास्थ्य सेवा औषधालय कर्मचारियों की सेवा के लिये प्रति दिन कितने घंटे खुले रहते हैं ;

(ख) यह औषधालय किन किन छुट्टियों के पूरे दिन और आधे दिन के लिये बन्द रहते हैं ;

(ग) क्या उपरोक्त व्यवस्था और काम के घंटे पर्याप्त हैं ; और

(घ) क्या अन्य सरकारी अस्पताल प्रतिदिन इतने ही घंटे खुले रहते हैं और इतने ही दिन की छुट्टियां मनाते हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के अधीन औषधालय छः घंटे खुले रहते हैं ; जैसे

प्रातः मायं

गमियों में : ७ बजे से ५.३० से

११ बजे तक ७.३० बजे तक

सदियों में : ८ बजे से ५.३० से

१० बजे तक ७.३० बजे तक

(ख) अंशदायी स्वास्थ्य सेवा औषधालयों में १९५७ के अन्तर्गत मनाई गई छुट्टियों की एक सूची ममा की मेज पर रख दी गई है। [द्वितीय परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ३२] इसके अतिरिक्त विवार के दिन औषधालय बन्द रहते हैं।

(ग) जी हां।

(घ) एक विवरण, जिसमें बिलिगडन, मफदरजंग और अविन अस्पतालों में काम के घंटे तथा उनमें मनाई जाने वाली छुट्टियां दिखाई गई हैं, ममा की मेज पर रख दिया गया है। [द्वितीय परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ३२]